उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–3338/ग्यारह–2004–500(7)/2001
लखनऊ, दिनांक 02 जुलाई, 2004
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–232

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, 01 अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ होने वाली, 31 मार्च 2005 तक की अवधि के लिए नजूल भूमि में पट्टाधृत अधिकारों को पूर्णस्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के पट्टेदार के पक्ष में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1–बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि जो पूर्ण स्वामित्व लिखत में दी गयी प्रतिफल की धनराशि से उक्त नजूल भूमि के बाजार मूल्य तक अधिक हो, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की सीमा तक कम करते हैं।

परन्तु यह कि यह अधिसूचना नजूल भूमि में नीलाम या निविदा आमंत्रण के द्वारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने से सम्बन्धित मामलों में लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :–इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शब्द ''प्रतिफल'' का तात्पर्य, ऐसे पूर्ण स्वामित्व प्रभार और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पट्टाधृत अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए लिया गया हो, से है।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following Government notification no. K.N.-5-3338/XI-2004-500(7)-2001 dated July 02, 2004 for general information:

No. K.N. 5-3338/XI-2004-500(7)-2001
Lucknow, Dated July 02, 2004

Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section 1 of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to reduce for the period commencing on April 1, 2004 to March 31, 2005, the stamp duty chargeable under clause (a) of Article 23 of Schedule 1-B of the said Act on the instrument executed by the person authorised by the State Government of Uttar Pradesh in favour of the lessee of Nazul land for the purpose of converting leasehold rights into freehold rithts in the said land to the extent of the stamp duty chargeable on the amount that exceeds the amount of the conderation set forth in such freehold instrument upto the market value of the said Nazul land.

Provided that this notification shall not apply to matters ralating to granting freehold right in Nazul land by way of auction or invitation of tender.

Explanation : For the purpose of this notification, the word "consideration" means the freehold charges and the interest thereon, if any, taken by the person authorized by the State Government of the Uttar Pradesh for the purpose of converting leasehold rights into freehold rights.

By order,
Sd/- Illegible
RITA SINHA,
Pramukh Sachiv.